न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—270/2012/76 (2012/00080)

1. श्रवणलाल पुत्र हजारी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम आऊ, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. श्योजीराम पुत्र हजारी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम आऊ, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. बोदू पुत्र हजारी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम आऊ, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नायब तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंट**

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 24.4.2012 अंतर्गत प्ररकण संख्या 34/2012 .

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 19.7.2019

1. यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 24.4.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 की पत्नि वर्तमान ग्राम पंचायत सिनोदिया की सरपंच है एवं अपीलांट संख्या 1 ग्राम आऊ की भूमि क्षैत्र में स्थित लवण भूखण्ड संख्या 148/2, 150, 151 के रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि है जो वर्तमान में नमक उत्पादन हेतु सुरक्षित है । उक्त पट्टा विलेख श्रीराम शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है । उक्त पट्टेदार बाहर रहने की वजह से अपीलांट संख्या 1 को पॉवर ऑफ अटोर्नी दे रखी है जिसकी देखभाल व नमक उत्पादन पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर संख्या 1 करता है एवं उत्पादन नमक को बाजार में खपत करने का कार्यभार भी अपीलांट संख्या 1 पर है । नमक क्यारी हेतु आवंटित खसरा नंबर 148/2 के समीप ही खसरा नंबर 148/3 है जिसका रकबा 23 बीघा किस्म चारागाह है जिस पर अपीलांटस का किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है । चूंकि पट्टे के अनुसार 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि है जिसके चारों तरफ 5—7 फीट की मेड़ बना रखी है एवं बोरिंग करा रखा है । उक्त पट्टे वर्णित आराजी के समीपर ही चारागाह भूमि स्थित है जिसमें रेस्पो0 द्वारा दिनांक 6.9.2011 को प्रकरण संख्या 284/2011 दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस दिया गया जिस पर अपीलांट संख्या 1 को

नोटिस की तामील हुई एवं नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं अपीलांट संख्या 2 व 3 को रेस्पो0 द्वारा की गई कार्यवाही की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है । चूंकि अपीलांट संख्या 2 व 3 भेड़ बकरी चराने हेतु विगत 1–2 साल से बाहरवास गये हुए है फिर भी रेस्पो0 द्वारा प्रकरण दर्ज कर उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया इसके बाद नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा उसी प्रकरण के संदर्भ में दिनांक 19.3.2012 ाके पुनः आदेश पारित किया कि 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांटस द्वारा अतिक्रमण किया जा चुका है एवं पूर्व मुकदमें में अपीलांटस को 15 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमएण दर्शाया है एवं रेस्पो0 द्वारा आदेश दिनांक 19.3.2012 में 7 बीघा भूमि पर नमक के क्यार बनाने का प्रयास करने का आरोप विरचित कर दिनांक 19.3.2012 को बेदखल करने का आदेश पारित कर अपीलांटस के विरूद्ध पुलिस थाना रूपनगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश पारित किये है जिससे व्यथित होकर अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी परन्तु विद्वान जिला कलक्टर द्वारा अपील को परिक्षेत्र के बिन्दु के आधार पर अपीलांटस की अपील निरस्त करने के आदेश दिनांक 24.4.2012 को पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । चूंकि न्यायालय नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 19.3.2012 द्वारा धारा 91 भू–राजस्व अधि0 के तहत पारित किया है जबकि आदेश में धारा 91 (6) अंकित कया है । उपरोक्त तथ्य एक दूसरे से विरोधाभासी होने से विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपील को क्षैत्राधिकार से परे मानते हुए अपील को प्राथमिक स्तर पर खारिज कर जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 80 के तहत किसी भी न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय बिना पत्रावली रिकार्ड मंगवाये बिना पारित नहीं किया जा सकता है जबकि तहत न्यायालय ने बिना रिकार्ड तलब किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है फिर भी नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ ने दिनांक 13.9. 2011 को 7 बीघा भूमि पर अतिचार मानते हुए बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये जबकि अपीलांट संख्या 2 व 3 तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुए एवं इस आदेश की पालना में दिनांक 22.2.2012 को औपचारिक तौर पर पटवारी हल्का ने मौका पर्चा तैयार कर दया एवं तथाकथित दिनांक के बाद दिनांक 16.3.2012 को पुनः नायब तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांटस का कब्जा मानते हुए धारा 91 (6) के तहत नोटिस दिया । उक्त दोनों आदेश अलग–अलग रकबा बाबत् है । इस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांटस को नोटिस देकर पुनः आदेश पारित किया गया है जबकि भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 (6) में पुनः आदेश नहीं किया जा सकता है एवं इस प्रकरण में केवल अतिक्रमी के विरूद्ध शिकायत ही दर्ज की जा सकती है जबकि नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है । बहस में आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.3.2012 को

थानाधिकारी को अपीलांटस के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये है जो न्याय की दृष्टि से पूर्णतः गलत है क्योंकि अपीलांट संख्या 2 व 3 को आज दिन तक किसी भी प्रकार के सम्मन की तामील नहीं हुई है एवं न ही इनको किसी प्रकार की जानकारी है । नायब तहसीलदार को अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित करना चाहिये था । भू–राजस्व अधि0 की धारा 91 (6) (ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 91 में पारित आदेश में किसी प्रकार का उल्लघंन कारित होता है तो उप अधीक्षक रेंक पर पदस्थापित अधिकारी ही जांच कर सकता है । थानाधिकारी को किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है । नायब तहसीलदार ने मात्र राजनैतिक द्वैषता से हैरान व परेशान करने की नियत से बिना तामील हुए आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलांटस की अपील को परिक्षैत्र के बिन्दु पर निरस्त कर दिया जो गलत है क्योंकि राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भोला बनाम राज0 सरकार में स्पष्ट अंकित किया है कि धारा 91 एवं उपधारा के तहत पारित आदेश की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष होगी । अपीलांट संख्या 1 पट्टेशुदा आराजी खसरा नंबर 148/2, 150, 151 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा पर नकम उत्पादन हेतु पट्टेदार द्वारा मौके पर संभलायी गयी भूमि पर मजदूरी व देखभाल का कार्य करता है । ग्राम आउ में स्थित आराजी खसरा नंबर 148/3 किस्म चारागाह पर किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो पट्टेदार श्रीराम शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु तहत न्यायालय स्वतंत्र था। नायब तहसीलदार ने प्रकरण में बिना मौके की जांच व सीमाज्ञान कराये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अति0 जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 24.4.2012 एव नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.3.2012 निरस्त किया जावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांटस द्वारा चारागाह भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किये जाने से नायब तहसीलदार ने विधिसम्मत् कार्यवाही की है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने भी अपील क्षैत्राधिकार में नही होने से विधिसम्मत् रूप से खारिज की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय दिनांक 24.4.2012 में यह अंकित किया गया है कि भूराजस्व अधि0 की धारा 91 (6) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की अनुशंसा की गई है जो केवल मात्र परिवाद है एवं अपील एडमिशन स्तर पर ही क्षैत्राधिकार/पोषणीयता के आधार पर निरस्त कर दी । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में दिनांक 1.3.2012 को धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किये गये थे तत्पश्चात् दिनांक 19.3.2012 को अपीलाधीन भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए धारा 91, धारा 91 (6) के तहत आदेश पारित किया । आदेश पारित करते हुए आदेश दिया कि अतिक्रमी के विरूद्ध पुलिस थाना, रूपनगढ़ में प्राथमिकी दर्ज करवाई जावे एवं अतिक्रमी को आराजी राज से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये गये । भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 (1) के तहत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस की अपील पोषणीयता के आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित

की है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 75 (1) भूराजस्व अधि0 1956 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील पोषणीय थी । अधी0न्याया0 ने अपनी क्षैत्राधिकारिता का प्रयोग नहीं कर अविधिक रूप से अपील पोषणीयता के आधार पर निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.4.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 197.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर